डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 198] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 सितम्बर 2001—भाद्र 23, शक 1923

सहकारिता विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2001

आदेश

क्रमांक एफ-7-6/15/सह./2001.—राज्य में वर्तमान में 6 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के कार्यक्षेत्र में 15 राजस्व जिले हैं. नए जिलों के गठन के पूर्व प्रत्येक जिला के कार्यक्षेत्र में पृथक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक कार्यरत होकर जिला के सभी प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं एवं अन्य सहकारी संस्थाओं का वित्त पोषण करते थे. यह व्यवस्था वर्तमान में 9 जिलों में पृथक से नहीं होने से समन्वय की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जिससे जनहित में प्रत्येक जिला के लिए पृथक् जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक गठित किए जाने की मांग है. अत: यह समाधान हो गया है कि लोकहित में विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को अधिक प्रभावी रूप से सुनिश्चित किये जाने के लिए यह आवश्यक है कि, एक से अधिक राजस्व जिला के कार्यक्षेत्र वाले विद्यमान जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों-रायपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, बिलासपुर, रायगढ़ और अम्बिकापुर का पुनर्गठन किया जाकर इनके वर्तमान कार्यक्षेत्र के सभी राजस्व जिलों के लिए पृथक्-पृथक् जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों का गठन किया जाए.

अत: राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 16(ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पुनर्गठन स्कीम तैयार कर संलग्न की जाती है जिसका क्रियान्वयन किया जाय.

(बी. के. एस. रे)
प्रमुख सचिव.

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के पुनर्गठन की योजना

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार :—**

(1) यह जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, बिलासपुर, रायगढ़ और अंबिकापुर की पुनर्गठन स्कीम 2001 कहलाएगी.

(2) यह पुनर्गठन स्कीम जारी होने की तारीख से प्रवृत्त होगी.

2. **परिभाषाएं :**—जब तक संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो.

(ए) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (1961 का क्र. 17)

(बी) "नियम" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962.

(सी) "पुनर्गठन" से अभिप्रेत है, इस स्कीम के अधीन एक से अधिक राजस्व जिला कार्यक्षेत्र वाले, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित का पुनर्गठन,

(डी) "विद्यमान केन्द्रीय बैंक" से अभिप्रेत है, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, जगदलपुर, रायगढ़ और अंबिकापुर जैसा कि पुनर्गठन के ठीक पूर्व विद्यमान हो,

(ई) "नवीन केन्द्रीय बैंक" से अभिप्रेत है, दुर्ग जिला को छोड़कर सभी जिलों में समाहित क्षेत्रों के लिए, इस पुनर्गठन स्कीम के अधीन पृथक्-पृथक् गठित होने वाले जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक,

(फ) "नियत तिथि" से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा पुनर्गठन की स्कीम के अधीन नवीन केन्द्रीय बैंकों के रजिस्ट्रेशन के बाद आस्तियों एवं दायित्व के विभाजन हेतु घोषित तिथि,

(जी) "रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, से अनिम्न श्रेणी का अधिकारी.

3. **पुनर्गठन की रीति :—**

यह पुनर्गठन विद्यमान केन्द्रीय बैंकों का इस प्रकार से विभाजन करके होगा जिससे कि छत्तीसगढ़ राज्य में के प्रत्येक राजस्व जिला के लिए पृथक्-पृथक् जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक का गठन हो जाए.

4. **पुनर्गठन की प्रक्रिया :—**

(1) इस पुनर्गठन स्कीम के जारी होने की तारीख से दस दिवस की समयावधि में विद्यमान केन्द्रीय बैंक अथवा कोई हितबद्ध पक्षकार आपत्तियां अथवा सुझाव रजिस्ट्रार को प्रस्तुत कर सकेगा,

(2) प्राप्त आपत्तियों तथा सुझावों को अपने अभिमत के साथ रजिस्ट्रार राज्य शासन के समक्ष प्रस्तुत करेगा, इस पर राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम होगा.

(3) राज्य शासन पुनर्गठन स्कीम को ऐसे उपान्तरणों सहित, जैसा कि वह उचित समझे, अनन्तिम रूप से अभिप्रमाणित करेगा.

(4) नवीन केन्द्रीय बैंकों का रजिस्ट्रीकरण होने की तारीख से 6 माह की समयावधि में, जो राज्य शासन के आदेश से समय-समय पर बढ़ायी जा सकेगी, राज्य शासन स्कीम को अंतिम रूप से अभिप्रमाणित करेगा.

5. **सदस्यता :—**

(1) विद्यमान केन्द्रीय बैंक के सदस्य उनके पंजीकृत पतों के आधार पर उस-उस नवीन केन्द्रीय बैंक के सदस्य होंगे, जिसके-जिसके कार्यक्षेत्र में हों.

(2) नवीन केन्द्रीय बैंक में किसी सदस्य सोसाइटी का प्रतिनिधित्व वह व्यक्ति करेगा, जो विद्यमान केन्द्रीय बैंक में प्रतिनिधित्व किए जाने के लिए सक्षम रहा हो.

6. **रजिस्ट्रीकरण :—**

(1) राज्य शासन द्वारा पुनर्गठन स्कीम को अनन्तिम रूप से अभिप्रमाणित कर दिये जाने के उपरान्त रजिस्ट्रार नवीन केन्द्रीय बैंकों का रजिस्ट्रीकरण करेगा.

(2) नवीन केन्द्रीय बैंकों के लिए उपविधियों को भी रजिस्ट्रार अन्तिम रूप से स्वीकृत एवं पंजीकृत करेगा.

(3) विद्यमान केन्द्रीय बैंकों की उपविधियां आवश्यक उपान्तरणों सहित जैसा कि रजिस्ट्रार विनिश्चित करे, नवीन केन्द्रीय बैंकों के लिए प्रभावी होगी.

7. **प्रबंध :—**

(1) नवीन केन्द्रीय बैंक का पंजीयन हो जाने पर तत्संबन्धी विद्यमान केन्द्रीय बैंक की समिति के सदस्यों तथा अन्य पदधारियों के पद रिक्त हो जाएंगे.

(2) नवीन केन्द्रीय बैंकों का प्रबंध करने के लिए राज्य शासन के अनुमोदन से रजिस्ट्रार किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की समिति को अस्थायी रूप से नियुक्त करेगा.

(3) अन्यथा किसी बात के होते हुए भी नवीन केन्द्रीय बैंक का प्रतिनिधित्व, जहां भी कि आवश्यक होगा, ऐसे बैंक का प्रबंध करने के लिए रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की समिति की दशा में अध्यक्ष, तब तक करेगा, जब तक कि ऐसे प्रतिनिधि का निर्वाचन न हो जाए.

8. **अस्तियां और दायित्व :—**

विद्यमान केन्द्रीय बैंक की नियत तिथि को विद्यमान आस्तियों और दायित्वों का तत्संबंधी नवीन केन्द्रीय बैंकों में परिशिष्ट 'अ' पर दर्शित मापदण्डों के अनुसार अनन्तिम विभाजन होगा. नवीन केन्द्रीय बैंकों के परामर्श उपरान्त रजिस्ट्रार आदेश प्रसारित कर अन्तिम विभाजन करेगा.

9. **शक्तियां :—**

नवीन केन्द्रीय बैंकों को अपने-अपने कार्यक्षेत्र में वह समस्त शक्तियां होंगी जो पुनर्गठन के ठीक पूर्व विद्यमान केन्द्रीय बैंक को थी.

10. अधिकार, हित और कर्त्तव्य :—

नवीन केन्द्रीय बैंकों को अपने-अपने कार्यक्षेत्र में अधिकार, हित और कर्त्तव्य उसी अनुरूप होंगे जैसे कि पुनर्गठन के ठीक पूर्व विद्यमान केन्द्रीय बैंक के थे.

11. कर्मचारी वृन्द :—

विद्यमान केन्द्रीय बैंक के कर्मचारी वृन्द की सेवाओं का प्रावधिक आवंटन नवीन केन्द्रीय बैंकों में प्रथमत: रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा परन्तु अंतिम आवंटन एक वर्ष की अवधि में नवीन केन्द्रीय बैंकों से परामर्श करके रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा.

12. कर्मचारी वृन्द की सेवा की शर्तें :—

विद्यमान केन्द्रीय बैंक के प्रभावशील सेवा नियम नवीन केन्द्रीय बैंकों के लिए अनन्तिम रूप से आवश्यक उपान्तरणों सहित तब तक लागू रहेंगे जब तक कि नवीन केन्द्रीय बैंकों के परामर्श से रजिस्ट्रार द्वारा नए सेवा नियम लागू नहीं कर दिए जाएं.

13. भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से आवश्यक अनुमोदन एवं अनुमति प्राप्त किया जाना :—

जहां किसी नवीन केन्द्रीय बैंक के द्वारा किसी विशिष्ट कारोबार को प्रारंभ करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अथवा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को आवेदन करना अथवा उसकी अनुमति प्राप्त करना अथवा उसका अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक हो वहां ऐसा होने के पूर्व वह विशिष्ट कारोबार प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा. ऐसा आवेदन करने अथवा अनुमति प्राप्त होने अथवा अनुमोदन प्राप्त होने तक वह विशिष्ट कारोबार विद्यमान केन्द्रीय बैंक के नाम से ही पूर्ववत् सभी नवीन केन्द्रीय बैंकों के कार्यक्षेत्र में होता रहेगा.

14. विवाद :—

नवीन केन्द्रीय बैंकों के मध्य इस पुनर्गठन स्कीम के अधीन विभाजन से संबंधित उत्पन्न किसी विवाद की दशा में उसका निपटारा प्रथमत: आपसी सहमति द्वारा किया जा सकेगा; यदि असहमति हो तो ऐसा विवाद निराकरण हेतु रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाएगा और उभय पक्ष की सुनवाई करके रजिस्ट्रार द्वारा निराकरण किया जाएगा.

15. अपील :—

रजिस्ट्रार के द्वारा पारित किसी आदेश अथवा किए गए किसी विनिश्चय के विरुद्ध राज्य शासन को 30 दिन के भीतर अपील की जा सकेगी तथा ऐसी अपील में राज्य शासन का निर्णय/आदेश विनिश्चायक तथा आवद्धकर होगा.

संलग्न :— परिशिष्ट ''अ''

(बी. के. एस. रे)
प्रमुख सचिव.

परिशिष्ट "अ"

आस्तियों एवं दायित्वों के विभाजन के लिए मापदण्ड

अनु. (1)	मद (2)	विभाजन का आधार (3)
अ	**देयताएं**	
1.	चुकता अंशपूंजी	
	राज्य शासन	अन्य सदस्यों की अंशपूंजी का अनुपात
	अन्य सदस्य	वास्तविक
2.	निधियां एवं कोष	सामान्यत: अंशपूंजी का अनुपात, परन्तु किसी या किन्ही विशिष्ट मामले में रजिस्ट्रार के द्वारा नियत अनुसार.
3.	अमानतें	वास्तविक
4.	ऋण ग्रहण	वास्तविक
5.	लाभ	अंशपूंजी का अनुपात
6.	अन्य	नवीन केन्द्रीय बैंकों की आपसी सहमति के अनुसार
ब	**आस्तियां**	
1.	जमाएं	आनुपातिक समायोजन
2.	नगदी	आनुपातिक समायोजन
3.	विनियोजन	अंशपूंजी का अनुपात
4.	ऋण तथा अग्रिम एवं प्राप्ति योग्य ब्याज	वास्तविक
5.	प्राप्त विपत्र	वास्तविक
6.	वाहन	रजिस्ट्रार के आदेशानुसार, सामान्यत: अंशपूंजी के आधार पर
7.	भूमि	जिस बैंक के कार्यक्षेत्र में स्थित हो
8.	भवन	नवीन बैंकों से परामर्श पर रजिस्ट्रार द्वारा नियत अनुसार
9.	अन्य चल सम्पत्तियां	अंशपूंजी का अनुपात
10.	हानि	अंशपूंजी का अनुपात
11.	अन्य लेनदारियां	यथासंभव, वास्तविक अन्यथा अंशपूंजी का अनुपात

टीप :—पंजीयन के तत्काल बाद कार्य संचालन हेतु प्रारंभिक राशि उपलब्ध कराई जाएगी जिसका समायोजन आस्तियों के विभाजन से किया जा सकेगा.

(बी. के. एस. रे)
प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.